

जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 'राजस्थान सविलि सेवा अपील अधिकरण'की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बंदि

- मुख्यमंत्री ने यह नरिणय राज्य कार्मकों की सुवधि के दृष्टिगत लयिा है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरटिज भवन के कोर्ट नंबर-19 में कयिा जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस स्थायी पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरषिठ सहायक के 2, कनषिठ सहायक के 3 एवं नजिी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहति कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लयि आवश्यक उपकरण एवं फरनीचर हेतु 25 लाख रुपए का वत्तितीय प्रावधान कयिा गया है।
- मुख्यमंत्री के इस नरिणय से राज्य कार्मकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन नरिधारण, पदोन्नति आदि का त्वरति नसितारण हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/permanent-bench-of-rajasthan-civil-service-appellate-tribunal-will-open-in-jodhpur>